

1400

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.
मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 11 मई 2021

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में सौडू जाखी ग्वाणा से ग्वाड टोला मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (द्वितीय चरण स्टेज-I) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौडी द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन जिनकी लम्बाई 5.00 किमी० एवं लागत ₹143.21 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹128.17 लाख (₹ एक करोड़ अठ्ठाईस लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

50.11
28
25/5

25/5/21

- (ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- (x) द्वितीय चरण स्टेज-II में पहाड़ कटान मद में कोई धनराशि प्राविधानित/स्वीकृत नहीं की जायेगी।
- (xi) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- (xii) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- (xiii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 34/XXVII/(2)/2021 दिनांक 10 मई 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

 भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

- संख्या- (1)/III(2)/21-10(एम०एस०ए०)/2017 T.C. तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
 2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
 3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 4. जिलाधिकारी, चमोली।
 5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. पौड़ी।
 6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
 7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
 9. अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
 10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो. नि. वि., थत्यूड।
 11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2021 - 2022)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1335/III(2)/21-10(MLA)2017TC
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S21050220021
आवंटन पत्र दिनांक-11-MAY-2021

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत
परिव्यय

04-District and other Roads

337-सड़क निर्माण कार्य

03-राज्य सेक्टर

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

Voted

| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
|-----------------|---|---|---|----------------|------------------|---------------|---|-------|---|---|---|---|
| मानक मद का नाम | | | | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | | योग | | | | |
| 53-वृहद निर्माण | | | | 10000 | 10000 | 0 | | 20000 | | | | |
| योग | | | | 10000 | 10000 | 0 | | 20000 | | | | |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
राज्य निर्माण विभाग, देहरादून

दस्तावे सं.: 399 / 20 यातायात/21

दि.: 28-5-21

प्रतिलिपि निम्न को सूच्यार्थ एवं
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. दो. सु. अभि., लो. नि. वि. पो.डी।
2. अधि. अभि. एवं प्र. लो. नि. वि. सि.टी।
3. अधि. अभि. एवं प्र. लो. नि. वि. प्र.सू.।
4. अधि. अभि. एवं प्र. सी. लो. नि. वि. एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।
5. अधि. अभि. एवं प्र. बजट वर्ष प्रमुख अभि. एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय।

वरिष्ठ प्रशासक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
बी.नि.वि., देहरादून